न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 301 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 490

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.इब्राहिमखां पुत्र भाईखां 2.बरसी पत्नी भाईखां 3.गनीखां पुत्र काम्भुखां 4.सरादीन पुत्र काम्भुखां 5.सरीफों पत्नी काम्भुखां 6.हांसमखां पुत्र काम्भुखां जाति मुसलमान 7.गोपाराम पुत्र लालाराम 8.मांगीदेवी पत्नी मोड़ाराम जाति देवासी 9.रूपाराम पुत्र वेहनाराम जाति चौधरी 10.मिसरो पत्नी हासमखां 11.सकीना पुत्री भुरा 12.सुभानी पुत्री भुरा 13.समु पत्नी हासमखां 14.सादी पुत्र छोगा 15.हासम पुत्र छोगा 16.हनीफ पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान निवासी रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.कानदान पुत्र नगदान 2.प्रकाश कंवर पुत्री नगदान 3.मदनलाल पुत्र नगदान 4.मोहन कंवर पत्नी नगदान जाति चारण निवासी रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 5.गणगोर पत्नी राणाराम जाति भाट निवासी रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.चिड़ियादेवी पत्नी निम्बाराम जाति देवासी निवासी रेवाड़ जेतमाल 7.नैनू कंवर पत्नी खुशालदान जाति चारण 8.दलाराम पुत्र चुतराराम जाति सुथार 9.रमेश पुत्र जोगाराम जाति सुथार 10.राजुराम पुत्र जोगाराम जाति सुथार निवासी रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा 11.मांगीलाल पुत्र वेनाराम जाति कलबी निवासी बुगो की ढाणी, थोब तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 12.अणसी पत्नी हमीरा जाति राईका 13.मांगी पुत्र हमीरा जाति राईका 14.अणदाराम पुत्र सोमाराम जाति कलबी निवासी रेवाड़ा जेतमाल 15.अमराराम पुत्र शेराराम जाति कलबी निवासी थोब 16.कमुखां पुत्र मोडेखां जाति मुसलमान निवासी कोडुका

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

17.जमालखां पुत्र मोडेखां जाति मुसलमान
निवासी कोडुका
18.गन्नीखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान
निवासी बड़नावा जागीर
19.चानणखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान
निवासी बड़नावा जागीर
20.रामजीराम पुत्र किसनाराम
जाति कलबी निवासी रेवाड़ा जेतमाल
21.सुभानखां पुत्र मोड़ेखां जाति मुसलमान
निवासी कोडुका
22.साउखां पुत्र मोडेखां जाति मुसलमान
निवासी कोडुका
23.सुबटी पत्नी भाईखां जाति मुसलमान
निवासी बड़नावा जागीर
24.हनीफखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान
निवासी बड़नावा जागीर
25.अलीशेर पुत्र धूमेखां
26.कादरखां पुत्र धूमेखां
27.मिसरा पुत्र धूमेखां
28.मिमों पत्नी धूमेखां
29.सफीखां पुत्र धूमेखां
30.नेकूखां पुत्र मेजलखां
31.नसीरखां पुत्र मेजलखां
32.रिमजा पुत्र मेजलखां
33.निजामखां पुत्र रेशमा
34.फतेहखां पुत्र रेशमा
35.बिलालखां पुत्र रेशमा
36.मिरूखां पुत्र रेशमा
37.सोकीनखां पुत्र रेशमा
38.इलेखां पुत्र रेशमा
39.हयातखां पुत्र रेशमा
जाति सिपाई मुसलमान
निवासी रेवाड़ा मईया
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

40.नेमाराम पुत्र चेनाराम
जाति चौधरी निवासी थोब
41.पूनमाराम पुत्र भैराराम
जाति विश्नोई
42.भागीरथराम पुत्र भैराराम
जाति विश्नोई
43.किसनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश
जाति विश्नोई निवासी कुडी
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
44.अदरिमखां पुत्र जामिनखां
45.जामिनखां पुत्र बागेखां
46.जीयेखां पुत्र सोमराजखां
47.नेकूखां पुत्र जामिनखां
48.फतेहखां पुत्र जामिनखां
49.सकूरखां पुत्र रहमानखां नाबालिग
जरिये संरक्षक जामिनखां पुत्र बागेखां
विप्रार्थी संख्या 45 जाति सिपाई
मुसलमान निवासी रेवाड़ा मैया
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
50.जोधाराम पुत्र मांगाराम जाति भाट
51.बंशीराम पुत्र मांगीलाल जाति भाट
52.मजलो देवी पत्नी मांगीलाल
53.लाधुराम पुत्र विरधाराम जाति भाट
54.सांगाराम पुत्र मोंगाराम जाति भाट
निवासी रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा
जिला बालोतरा
55.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक 07/03/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 160/57 क्षैत्रफल 14.5039 हेक्टेयर, खसरा संख्या 69 क्षैत्रफल 0.1700 हेक्टेयर व खसारा संख्या 71 क्षैत्रफल 10.6108 हेक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 160/57 क्षैत्रफल 14.5039 हेक्टेयर, खसरा संख्या 69 क्षैत्रफल 0.1700 हेक्टेयर व खसरा संख्या 71 क्षैत्रफल 10.6108 हेक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 160/57 क्षैत्रफल 14.5039 हेक्टेयर, खसरा संख्या 69 क्षैत्रफल 0.1700 हेक्टेयर व खसरा संख्या 71 क्षैत्रफल 10.6108 हेक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 160/57 क्षैत्रफल 14.5039 हेक्टेयर, खसरा संख्या 69 क्षैत्रफल 0.1700 हेक्टेयर व खसरा संख्या 71 क्षैत्रफल 10.6108 हेक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 160/57 क्षैत्रफल 14.5039 हेक्टेयर, खसरा संख्या 69

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्षेत्रफल 0.1700 हेक्टेयर व खसरा संख्या 71 क्षेत्रफल 10.6108 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.6.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 160/57 क्षैत्रफल 14.5039 हेक्टेयर, खसरा संख्या 69 क्षैत्रफल 0.1700 हेक्टेयर व खसरा संख्या 71 क्षैत्रफल 10.6108 हेक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 07/03/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07/3/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा